फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2024-25

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)**	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय- 05- उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-00 42-अन्य व्यय	3000.00	112.88	112.88	112.88	2887.12
योग-	**3000.00**	**112.88**	**112.88**	**112.88**	**2887.12**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(राजस्व पक्ष)** अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय- 05- उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-00 58- आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50.00	162.88	112.88	112.88	162.88
योग -	**50.00**	**162.88**	**112.88**	**112.88**	**162.88**

(1) बचत के कारण निम्नानुसार है :-

मद संख्या 42-अन्य व्यय (सड़क सुरक्षा कोष से व्यय) :- मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16.05.2024 को सम्पन्न हुयी जिसमें सड़क सुरक्षा सम्बन्धी इस मद के अनुमानित कार्यों हेतु रु 3980.90 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया, जिसके सापेक्ष रु 3000.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है। इस मद की योजनाओं/कार्यों हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनाक 03.06.2024 एवं पुनश्च पत्र दिनांक 29.08.2024 द्वारा रु 2840.90 लाख का प्रस्ताव शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित है, अवशेष धनराशि के प्रस्ताव अप्राप्त होने के कारण।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं:-

मद संख्या 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान (सड़क सुरक्षा कोष से व्यय) - सडक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु आउटसोर्स के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात 19 कम्प्यूटर सहायक हेतु (रू 20,212 प्रति सहायक x 19 x 12 माह) रू 46,08,336/- 37 वाहन चालक हेतु (रू 20,212 प्रति चालक x 37 x 12 माह) रू 89,74,128/- तथा मुख्यालय पर तैनात (01 लेखाकार 02 डी०बी०ए०, 04 लिपिक व 02 चतुर्थ श्रेणी) हेतु रु 27,05,138/- अर्थात क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय पर तैनात उक्त कार्मिकों के वार्षिक पारिश्रमिक भुगतान हेतु कुल धनराशि रु 1,62,87,602/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अथवा रु 162.88 लाख की आवश्यकता अनुमानित है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष हेतु रू 50.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत है, के सापेक्ष रू 38,68,056/- का व्यय भी हो चुका है। इस प्रकार (रू 162.88 लाख - 50.00 लाख) रु 112.88 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता सडक सुरक्षा कार्यों के निष्पादन हेतु आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 10.11.2023 द्वारा प्रेषित आय-व्ययक अनुमान 2024-25 के प्रस्ताव में सड़क सुरक्षा योजना की मद संख्या 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के लिये वर्तमान में कार्यरत तथा अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता के दृष्टिगत रु 308.66 लाख प्रस्तावित किया गया, किन्तु किन्ही कारणोवश मात्र रू 50.00 लाख का बजट प्राविधान स्वीकृत हो पाने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई. संख्या-बजट-1-70 , दिनांक 20 .09.2024

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

संख्या- 110 /2024/2450/तीस-3-2024, दिनॉक 30 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in